भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 902

उत्तर देने की तारीख 21 नवम्बर, 2019

30 कार्तिक, 1941 (शक)

डोपिंग परीक्षण

902. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

श्री भगवंत खुबाः

श्री भोला सिंहः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (डब्ल्यूएडीए) ने हाल ही में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के प्रत्यायन को निलंबित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने डोपिंग के चलन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए कई खिलाड़ियों के डोपिंग परीक्षण सकारात्मक पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रमुख एथलीटों के डोपिंग कांड में शामिल पाए जाने से ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी प्रभावित होगी; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): जी हां। सितम्बर, 2018 में वाडा लेबोरेट्री एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा अपने दौरे के दौरान नोट की गई कुछ कमियों के कारण विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) ने दिनांक 20.08.2019 से छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) की मान्यता निलंबित कर दी। निलंबन के समय एनडीटीएल ने वाडा की संतुष्टि के अनुरूप 47 कार्य मदों में से 38 का अनुपालन कर लिया था। शेष मदों के लिए वाडा को अक्तूबर, 2019 में एक अनुपालन पत्र भेजा गया था। वाडा ने निलंबन हटाने के लिए जनवरी, 2020 में अपना विशेषज्ञ समूह भेजने का आश्वासन दिया है।

(ग) जी नहीं, इस मंत्रालय ने हाल में डोपिंग के चलन से संबंधित मामलों की जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। जुलाई, 2011 में न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति मुदगल ने मई, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और इस पर उचित कार्रवाई की गई थी।

(घ) टोक्यो ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों का परीक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ड.) और (च) : सरकार के संज्ञान में कोई भी डोपिंग मामला नहीं आया है। जब भी किसी खिलाड़ी का डोप परीक्षण पॉजिटिव पाया जाता है तो उसपर नाडा द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

****